<u>**राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**</u>

<u>**अपील डिक्री/टी.ए./2004/5012/नागौर**</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

........**अपीलान्ट**

बनाम

गंगाराम (मृतक) पुत्र दीपाराम जरिये कायम मुकाम :-
1- भंवरी देवी पत्नी स्व. गंगाराम
2- जगदीश चन्द्र पुत्र स्व. गंगाराम
3- गणपतराम पुत्र स्व. गंगाराम
4- रतनसिंह पुत्र स्व. गंगाराम
5- गोरधन सिंह पुत्र स्व. गंगाराम
6- रामेश्वर पुत्र स्व. गंगाराम
7- ओमप्रकाश पुत्र स्व. गंगाराम
8- रामप्यारी पुत्री स्व. गंगाराम
9- कमला उर्फ छोटी देवी पुत्री स्व. गंगाराम
समस्त जाति माली निवासीगण बस्सी मौहल्ला नागौर
तहसील व जिला नागौर।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

<u>**खण्ड-पीठ**</u>
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>**उपस्थित :-**</u>
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ड

दिनांक : 20-11-2019

<u>**निर्णय**</u>

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

नागौर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-9-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी ने एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर, नागौर में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा नागौर में स्थित आराजी खसरा नम्बर-640/800 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा पर उसका कब्जा संवत 2010 से पूर्व से चला आ रहा है एवं मौके पर उसकी ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि का कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा था जिसमें से 12 बीघा भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में है किन्तु शेष 4 बीघा 4 बिस्वा को गलत रूप से गैर मुमकिन आगौर दर्ज कर दिया गया। अतः उसे उक्त भूमि का खातेदार दर्ज किया जाये। राजस्थान सरकार ने जरिये तहसीलदार जवाब दावा पेश किया और दावे के तथ्यों को अस्वीकार किया। दावा व जवाबदावा के आधार पर चार तनकियां कायम की गई। उभय पक्षकारों की साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 10-7-2002 द्वारा दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने एक अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 30-9-2003 द्वारा दावा डिक्री कर दिया व आराजी खसरा नम्बर-640/800 में रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा पर अप्रार्थी को खातेदार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर राजस्थान सरकार ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। साथ में दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को शमित करने की प्रार्थना भी की है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-9-2003 न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आराजी खसरा नम्बर 640/800 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आगौर दर्ज है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के तहत उक्त भूमि प्रतिबंधित होने के कारण इस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः इस आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित करते हुये दावा विधिसम्मत रूप से खारिज किया था किन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने सीपीसी के आदेश-41 नियम-31 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। यह सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 2017 आर.बी.जे. पेज-625 में प्रतिपादित किया है। बहस आगे बढ़ाते हुये उन्होंने कथन किया कि अपील प्रस्तुत करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है जिसे शमित करने हेतु दफा-5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार कर दावा अन्दर मियाद माना जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-9-2003 निरस्त की जाये।

5- रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अप्रार्थी का कब्जा उक्त भूमि पर संवत 2010 से पूर्व का है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अस्तित्व में आने से वह उक्त भूमि का स्वतः ही खातेदार बन गया था

लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज नहीं किया। इसलिये दावा करना पड़ा, जबकि राजस्थान सरकार को चाहिये था कि स्वतः ही उसका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करते। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने दावा डिक्री करके विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है जिसमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित किये गये हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुये निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुये अपील निरस्त की जाये। अपील बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और इसी आधार पर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

7- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-9-2003 को पारित किया गया था किन्तु अपील दिनांक 15-10-2004 को प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त अपील दिनांक 30-12-2003 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये थी। उक्त अपील लगभग साढ़े नौ माह के पश्चात प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हमने आरआरटी-2017(2) पेज-1104 का अवलोकन किया जिसमें निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

> **"परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा-5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-53 व 224 - सह हिस्सेदारों के बीच विभाजन हेतु वाद राजस्व अपील प्राधिकारी ने गुणावगुण पर विचार किये बिना मियाद के आधार पर अपील खारिज की- तकनीकी आधार पर एक पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये- निर्णीत, आदेश अपास्त किया व पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।"**

8- उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि प्रकरण में निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह सद्भाविक है व विलम्ब के कारण संतोषजनक हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को शमित किया जाता है और प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9- पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2036-39 के अन्तर्गत खसरा नम्बर-640/880 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा पर अप्रार्थी को खातेदार अंकित किया हुआ है। प्रदर्श-10 जमाबन्दी संवत 2053-56 के अनुसार खसरा नम्बर-640/746, 640/474, 646/750 रकबा पर रामनिवास पुत्र रामदयाल माली का अंकन है। जमाबन्दी संवत 2057-60 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-640 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पर आगौर दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2020 में खसरा नम्बर-640 रकबा 117 बीघा 5 बिस्वा पर आगौर दर्ज है। अन्य राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है वह अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि के संबंध में है जिसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः अप्रार्थी ने संवत् 2010-2012 का ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें खसरा नम्बर-640/800 पर अप्रार्थी के पक्ष में कोई प्रविष्ट कृषक के रूप में अंकित हो। बिना पर्याप्त व सही राजस्व रिकार्ड के अप्रार्थी का दावा पोषणीय नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार दिनांक 15-10-1955 के पूर्व से यदि कोई व्यक्ति विधिमान्य तरीके से भूमि पर काबिज हो तो उसे खातेदारी अधिकार धारा-15 अथवा 88 के तहत दिये जा सकते हैं किन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थी को यह सिद्ध करना था कि वह संवत 2010 से विवादित भूमि खसरा नम्बर-640/800 पर विधिमान्य तरीके से काबिज है। अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और

अप्रार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के तहत कभी भी बेदखल किया जा सकता है। अतः अतिक्रमी को किसी भी भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

10– राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि गैर मुमकिन अंगौर के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2003 को विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है।

11– प्रकरण में चार तनकियां बनाई गई थी और परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10–7–2002 तनकीवार पारित किया है जो विधिसम्मत है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने जो निर्णय पारित किया है वह तनकीवार नहीं होकर सरसरी तौर पर निर्णय है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दावा डिक्री किया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय सीपीसी के आदेश–41 नियम–31 के अनुरूप नहीं है। आदेश–41 नियम–31 सीपीसी के प्रावधान निम्न है :–

> **नियम–31 :– निर्णय की अन्तर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर–** अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें–
>
> (क) अवधार्य प्रश्न
> (ख) उन पर विनिश्चय
> (ग) विनिश्चय के लिये कारण, तथा

(घ) जहां वह डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है और उसमें फेरबदल किया जाता है वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, कथित होगा,

और वह न्यायाधीश द्वारा या उसमें सहमत न्यायाधीशों द्वारा उस समय जब वह सुनाया जाए, हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जायेगा।

12- उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उनका निर्णय आदेश-41 नियम-31 सीपीसी के अनुरूप नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर को चाहिये था कि वे प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचना करते और विवेचना के उपरान्त निर्णय पारित करते। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश उपर्युक्त विवेचन के अनुसार भी निरस्त करने योग्य है।

13- प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं ऐसा मत राजस्व मण्डल के अनेक निर्णयों में व्यक्त किया जा चुका है। अप्रार्थी के अभिभाषक का यह कथन कि उक्त भूमि नियमन योग्य है और इस आधार पर भी उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये, मानने योग्य नहीं है। नियमन की प्रक्रिया आबंटन नियम-1970 के तहत की जाती है लेकिन यह प्रकरण नियमन का नहीं है बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-88 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के बाबत है। अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

14- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 2017 आरबीजे पेज-625 में भी निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

> **"Sec. 88 – Adverse possession – Plea of adverse possession can not be relied for a declaration the**

plainatiff is the owner of the property. It can only be relied as defence for protection of right in a suit for recovery of possession. Relief for declaration that the plaintiff has become absolute owner, can not be granted on the basis of adverse possession.”

15- उक्त अभिमत के अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-9-2003 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर, नागौर का निर्णय व डिक्री दिनांक 10-7-2002 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष